डॉ० अक्ष्या बिसोई एवं अन्य

बनाम

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान व अन्य

फरवरी 06, 2018

[मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, ए 0 एम 0 खानविलकर एवं डॉ0 डी0 वाई 0 चन्द्रचूड़, न्यायमूर्तिगण]

सेवा विधि:

संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत याचिका दायर करते हुए– परस्पर वरिष्ठता– का निर्धारण चाहा गया– सितम्बर 2005 में किए गए 'अतिरिक्त प्राध्यापक' के पद पर चयन के संदर्भ में– स्थायी चयन समिति के अनुसंशाओं के आधार पर– अभिनिर्धारित किया गया: 1997 की नीति यह दर्शाती है कि चयन समिति के सभी सदस्यों एवं तकनीकी विषेशज्ञों द्वारा दिए गए अंकन को चयन समिति के अध्यक्ष के समक्ष रखा जाना है और अंतिम चयन समिति के सदस्यों एवं विषेशज्ञों द्वारा दिए गए अंकन के आधार पर 'किया जा सकता है'– चयन समिति ने, अभ्यर्थियों के योग्यता के क्रम के संदर्भ में अंतिम अनुसंशा देते हुए, उनके प्रदर्शन, अभिलेख और विषेश्ज्ञों के अभिमत को भी विचार में रखा होगा– अतः, दिए गए क्रमस्थापना को 1997 की नीति के उल्लंघन में होने के रूप में नहीं माना जा सकता है– याचिकाकर्ताओं तथा चतुर्थ प्रत्यर्थी के अतिरिक्त प्राध्यापक के रूप में चयनित हो जाने के बारह वर्षों के अधिक समय के बाद वरिष्ठता के स्थान को अस्थिर करना असाम्यापूर्ण होगा– याचिकाकर्ताओं की ओर से विधिक उपाय का सहारा चाहने में किया गया विलंब, उनके विरूद्ध ही होगा– विलंब/अतिविलंब– भारत का संविधान– अनुच्छेद 32 ।

दोनों याचिकाकर्ताओं ने (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हृदय शल्य चिकित्सक) प्रथम प्रत्यर्थी को चतुर्थ प्रत्यर्थी के संबंध में उनकी वरिष्ठता को 1997 के एक बंधनकारी नीति के अनुसार निर्धारित करने के निर्देश करते हुए परमादेश का रिट चाहा। याचिकाकर्ताओं के अनुसार उनके (याचिकाकर्ताओं एवं चतुर्थ प्रत्यर्थी) के 'अतिरिक्त प्राध्यापक' के रूप में चयन के समय याचिकाकर्ता क्र० 1 को आवंटित अंक प्रत्यर्थी क्र० 4 से अधिक था क्योंकि एक सदस्य/विशेषज्ञ सलाहकार ने प्रत्यर्थी क्र० 4 की तुलना में अधिक अंक आवंटित किए थे और इसलिए, प्रत्यर्थी क्र० 4 की तुलना में वरिष्ठ क्रम मिलेगा।

याचिका खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. अतिरिक्त प्राध्यापक के पद के लिए की गई भर्ती 2005 में की गई थी, अर्थात्, 12 वर्षों के भी पूर्व। याचिकाकर्ताओं ने इन कार्यवाहीयों को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 12 सितम्बर 2005 के चयन समिति द्वारा क्रमस्थापना के क्रम को चुनौती देने के लिए नवम्बर 2017 में संस्थित किया है। विधिक उपायों का सहारा लेने में इस विलंब का कोई तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। याचिकाकर्ता केवल यह तर्क करते हुए उनके भाग में हुए विलंब को वैध रूप से स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि वे उनके शिकायत के निवारण के लिए प्रथम प्रत्यर्थी को अभ्यावेदन कर रहे थे। याचिकाकर्ताओं ने सद्भाविक रूप से यह विश्वास किया होगा कि ए०आई०आई०एम०एस० प्रशासन उनकी शिकायतों की सुनवाई करेगा। उनके पास केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का सहानुभूतिपूर्ण रुख था। किन्तु, बारह वर्ष किसी भी प्रकार से न्यायिक उपचार का सहारा नहीं लेने के लिए अत्याधिक समयावधि है। जैसा कि तथ्यों का वर्णन इंगित करता है, संचालक मंडल ने 14 अप्रैल 2012 को योग्यता के क्रम को बनाए रखने का निर्णय लिया था जिसके आधार पर चतुर्थ प्रत्यर्थी के दोनों याचिकाकर्ताओं के उपर प्रथमतः क्रमस्थापित किया गया था। उसके बाद भी, संचालक मंडल द्वारा अक्टूबर 2012 में एक तीन सदस्यीय समिति गठित की गई थी तथा 19 जुलाई 2013 को वरिष्ठता के क्रम को यथावत् बनाए रखने का निर्णय दोबारा लिया गया था। इसे 12 मई 2014 और 22 जून 2016 को दोहराया गया था। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं को प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा अपनाए गए सुसंगत रूख की

जानकारी थी। उनके भाग में विधिक उपाय का सहारा चाहने में किया गया विलंब उनके विरूद्ध ही होगा। इस प्रक्रम पर सी०टी०व्ही०एस० विभाग में तीन प्रध्यापकों के मध्य परस्पर वरिष्ठता को चयन समिति द्वारा 2005 में दिए गए अनुसंशाओं को दोबारा खोलकर बदलना प्रत्यक्ष रूप से अऋजु होगा। [कंडिका 17] [905–जी–एच;903–ए–सी]

उत्तरांचल राज्य विरू० शिव चरण सिंह भंडारी (2013) 12 एस०सी०सी० 179: [2013] 9 एस०सी०आर० 609 – का अवलंब लिया गया

2. 1997 की नीति के अनुसार, चयन समिति के सदस्यों एवं तकनीकी विषेशज्ञों द्वारा आवंटित अंकन को चयन समिति के अध्यक्ष के समक्ष रखा जाना है और अभ्यर्थियों का अंतिम चयन समिति के सदस्यों एवं विषेशज्ञों द्वारा दिए गए अंकन/अंकों के आधार पर 'किया जा सकता है'। 'किया जा सकता है' पद। दिल्ली उच्च न्यायालय का डॉ० दिलीप कुमार परीडा विरू० ए०आई०आई०एम०एस० का निर्णय यह अभिनिर्धारित करता है कि विषेशज्ञों की राय जिन्हें कि चयन प्रक्रिया में सहयोजित किया गया है केवल सलाह के रूप में है और यह कि ए०आई०आई०एम०एस० के स्थायी चयन समिति के सदस्य उनके अभिमत से बाध्य नहीं हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय में ली गई यह राय को यह इंगित करने के लिए नहीं पढ़ा जाना चाहिए कि विषेशज्ञ जिन्हें कि चयन समिति के भाग के रूप में सहयोजित किया गया है उनकी कोई भूमिका नहीं है और यह कि अन्य सदस्यों को, उनके विचारों से स्वतंत्र रूप से चयन पर निर्णय लेना होगा। विशेषज्ञों को यह सुनिश्चित किए जाने के लिए सहयोजित किया जाता है कि चयन समिति व्यापक हो; यह कि चयन वस्तुपरक हो; और यह कि बाहर से लिए गए विशेषज्ञों का अनुभव एवं ज्ञान अंतिम निर्णय में एक बहुमूल्य निवेश प्रदान करता है। यह तथ्य कि चयन चयन समिति के सदस्यों एवं विशेषज्ञों द्वारा दिए गए अंकन के आधार पर 'किया जा सकता है' यह इंगित करता है कि योग्यता का निर्धारण आवंटित अंकों की मात्र यांत्रिक गणना नहीं है। चयन समिति को वस्तुपरक रूप से कार्य करना होगा। निसंदेह ही यह विशेषज्ञों की राय को सम्यक विश्वास दिया जाना अपेक्षित करता है। किन्तु ऐसा करते हुए, संस्था के हितों पर प्रभाव डालने वाले समस्त सुसंगत पहलुओं का सम्यक ध्यान रखा जाना चाहिए। चयन समिति को अभ्यर्थियों के परित्यय पत्र का निर्धारण करना होगा जिनमें अभ्यर्थी की सेवा संबंधित पार्श्वचित्र सम्मिलित होगी। यह इस अर्थ में है कि दिल्ली उच्च न्यायालय का अर्थान्वयन यह अभिप्राय होने से किया जाना चाहिए कि जबकि चयन समिति में सहयोजित विशेषज्ञों की राय एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण तथा निवेश गठित करती है, जिन्हें बंधनकारी होने के रूप में नहीं माना जा सकता है। चयन समिति के सदस्यों को विशेषज्ञों की राय को विचार में लेना होगा और उनका अन्य सभी सुसंगत परिस्थितियों के साथ मूल्यांकन करना होगा। [कंडिका 20 एवं 21] [905–जी–एच;907–ए–सी]

3. वर्तमान प्रकरण में, अतिरिक्त प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए अनुसंशाएँ करते हुए, चयन समिति ने अभ्यर्थियों के प्रदर्शन, उनके अभिलेख के साथ ही तकनीकी विषेशज्ञों के राय को भी विचार में लिया था। 12 दिसंबर 2005 की बैठक का कार्यवृत्त यह इंगित करती हैं कि तकनीकी विषेशज्ञों की राय को विचार में लिया गया था। अतः, क्रमस्थापना जोकि आवंटित की गई थी उसे 1997 के नीति निर्णय के उल्लंघन में नहीं माना जा सकता है। याचिकाकर्ताओं तथा चतुर्थ प्रत्यर्थी के अतिरिक्त प्राध्यापक के रूप में चयनित हो जाने के बारह वर्षों के अधिक समय के बाद ववरिष्ठता के स्थान को अस्थिर करना असाम्यापूर्ण होगा। इसके बावजूद, जब उनमें से प्रत्येक को प्राध्यापक के रूप में पदोन्नत कर दिया गया है, यह चतुर्थ प्रत्यर्थी है जिसे कि याचिकाकर्ताओं से उच्च पदक्रम में रखा गया है। [कंडिका 22] [907–सी–जी]

न्यायदृष्टांत संदर्भ [2013] 9 एस०सी०आर० 609 का कंडिका 18 में अवलंब लिया गया

आरंभिक सिविल अधिकारिता: रिट याचिका (सिविल) क्र० 2017 का 1179।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत।

महान्यायावादी, के०के० वेणुगोपाल, विकास सिहं, मुकुल रोहतगी, पी०एस० पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, निखिल नैय्यर, टी०व्ही०एस० राघवेन्द्र श्रेयस, एन०साईं विनोद, धनंजय बाईजल, कुमारी स्मृति

शाह, दिव्यांशु राय, आर० बालासुभ्रमणियन, गौरव शर्मा, कुमारी आरती शर्मा, स्नेहाशीश मुखर्जी, गोपाल शंकर नारायण, अपूर्वा अग्रवाला, कुमारी पूजा धर, मयंक सपरा, अक्षय अमृतांशु, जी०एस० माक्कर, कुमारी वीरा एम०, श्रुतयंजया भारद्वाज, आर० बाला, अंकुर तलवार, अपराजित सिंह, पक्षकारों के लिए उपस्थित हो रहे अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय दिया गया

डॉ० डी०वाय० चंन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति। 1. इस न्यायालय की अधिकारिता का भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दो हृदय शल्य चिकित्सकों द्वारा आह्वान किया गया है। वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वक्ष एवं संवहनी शल्य चिकित्सा विभाग (सी०टी०व्ही०एस०) में प्रध्यापक के रूप में संलग्न हैं। उनमें से प्रत्येक, चतुर्थ प्रत्यर्थी सहित जिसके संबंध में उन्होंने विवाद उत्पन्न किया है, का ए०आई०आई०एम०एस० में सेवा का एक स्पृहणीय रिकार्ड है। सेवा में विवाद दुर्लभ नहीं है, यहाँ तक की चिकित्सकों के बीच भी। वर्तमान प्रकरण में विरोधी चिकित्सकों की विशिष्ट सेवा न्यायनिर्णयक के कार्य को अवांछनीय बनाती है। उनमें से एक का वरिष्ठ होना दूसरों की योग्यता का परिचायक नहीं है। जीवन हमेशा पुरस्कृत करने में साम्यापूर्ण नहीं है।

2. याचिकाकर्ता जो अनुतोष चाहते हैं वह प्रथम प्रत्यर्थी को 1997 की एक बंधनकारी नीति के अनुसार चतुर्थ प्रत्यर्थी के संबंध में उनकी वरिष्ठता का निर्धारण करने के निर्देश करते हुए परमादेश की प्रकृति का एक रिट है। वे यह निर्देश चाहते हैं कि उनका 12 सितंबर 2005 को अतिरिक्त प्रध्यापक के रूप में चयन होने से वे चतुर्थ प्रत्यर्थी से वरिष्ठ होंगें। याचिकाकर्ता प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 20 अप्रैल 2010, 14 जुलाई 2017 एवं 24 अगस्त 2017 की वैधता को चुनौती दी है।

3. प्रथम याचिकाकर्ता (डॉ० ए०के० बिशोई), द्वितीय याचिकाकर्ता (डॉ० यू०के० चौधरी) तथा चतुर्थ प्रत्यर्थी (डॉ० शिव के० चौधरी) अतिरिक्त प्राध्यापक के रूप में सीधी भर्ती द्वारा 04 जून 2003 को नियुक्त किए गए थे। 01 जुलाई 2003 को उन्हें सह– प्राध्यापक के रूप में पदोन्नत किया गया था। 01 जुलाई 2010 को उन्हें प्राध्यापक के रूप में पदोन्नत किया गया था, पद जो वह वर्तमान में धारण करते हैं। वरिष्ठतम को सी०टी०व्ही०एस० का विभाग के प्रमुख के रूप में नामित किया जाएगा।

4. भारत के महान्यायवादी ने उन प्रत्येक पदों पर जिनमें याचिकाकर्ता तथा चतुर्थ प्रत्यर्थी को नियुक्त या, जैसी भी स्थिति हो, पदोन्नत किया गया था, योग्यता सूची तथा वरिष्ठता में तुलनात्मक स्थिति को दर्शाता, एक सारणीबद्ध विवरण अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। संदर्भ की सुविधा के लिए, विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है:

नाम	4.6.2003 को सहायक प्राध्यापक के रूप में सीधी भर्ती		1.7.2003 को सह–प्राध्यापक के रूप में पदोन्नती	23.9.2005 को अतिरिक्त प्राध्यापक के रूप में सीधी भर्ती		1.7.2010 को प्राध्यापक के रूप में पदोन्नती
	योग्यता सूची	वरिष्ठता	वरिष्ठता	योग्यता सूची	वरिष्ठता	वरिष्ठता
डॉ० शिव के० चौधरी (प्रत्यर्थी क्र० 4)	प्रथम	प्रथम	प्रथम	प्रथम	प्रथम	प्रथम
डॉ०यू०के०चौधरी (याचिकाकर्ता क्र० 2)	द्वितीय	द्वितीय	द्वितीय	द्वितीय	द्वितीय	द्वितीय
डॉ०ए०के० बिशोई	तृतीय	तृतीय	तृतीय	तृतीय	तृतीय	तृतीय

(याचिकाकर्ता क्र० 1)						

उपरोक्त विवरण यह इंगित करेगा कि चतुर्थ प्रत्यर्थी को सहायक प्राध्यापक, सह– प्राध्यापक, अतिरिक्त प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के रूप में लगातार याचिकारकर्ताओं से वरिष्ट क्रम दिया गया है। अतिरिक्त प्राध्यापकों के रुप में सभी तीन शल्य चिकित्सकों की नियुक्ति 23 सितंबर 2005 में हुई थी। बारह वर्षों से अधिक समय से, चतुर्थ प्रत्यर्थी को याचिकाकर्ताओं से वरिष्ठ क्रम में रखा गया है।

5. 25 अप्रैल 2005 को सी०टी०व्ही०एस० विभाग में अतिरिक्त प्राध्यापक के चार पदों को विज्ञापित किया गया था जिन्हें खुले चयन से भरा जाना था। चयनित अभ्यर्थियों को एक चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए 12 सितंबर 2005 को बुलाया गया था। चयन समिति ने अपने निर्णय के कार्यवृत को निम्न शब्दों में अभिलिखित किया था:

''12 सितंबर को हुई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान चयन समिति की बैठक''

अभ्यर्थियों के प्रदर्शन एवं उनके अभिलेख, तथा तकनीकी सलाहकारों की राय को विचार में रखते हुए समिति पृथक रूप से निर्दिष्ट प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियो सहित योग्यता सूची के क्रम में निम्न अभ्यर्थियों को सी०टी०व्ही०एस० के अतिरिक्त प्राध्यापक के पद के लिए अनुशंसा करती है:–

1. डॉ० शिव कुमार चौधरी
2. डॉ० उज्ज्वल कुमार चौधरी
3. डॉ० अक्षय कुमार बिशोई

प्रतीक्षा सूची

1. उपरोक्त प्रत्येक अभ्यर्थियों के लिए तीन अतिरिक्त वेतनवृद्धि की अनुशंसा की गई है।''

चयन समिति सात व्यक्तियों से मिलकर बनी हुई थी। जिनमें से दो विशेषज्ञों को बाहर से लिया गया था। वर्तमान मामले में विरोधी पक्षकारों को चयन समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए अंकों को नीचे सारणीबद्ध किए गए हैं:

''12.9.2005 को अतिरिक्त प्राध्यापक, सी०टी०व्ही०एस० के पद पर सीधी भर्ती के लिए चयन समिति द्वारा दिए गए अंक

	सदस्य 1	सदस्य 2	सदस्य 3	सदस्य 4	सदस्य 5	विशेषज्ञ/ सलाहकार 1	विशेषज्ञ/ सलाहकार 2
डॉ० शिव के० चौधरी (प्रत्यर्थी क्र० 4)	ए+	ए+	ए+	ए+	ए+	ए+	ए
डॉ०यू०के०चौधरी (याचिकाकर्ता क्र० 2)	ए+	ए+	ए+	ए+	ए+	ए+	ए
डॉ०ए०के० बिशोई (याचिकाकर्ता क्र० 1)	ए+	ए+	ए+	ए+	ए+	ए+	ए+

उपरोक्त चार्ट इंगित करेगा कि चयन समिति के सभी सात सदस्यों ने प्रथम याचिकाकर्ता को ए+ अंक दिए थे। चयन समिति के छः सदस्यों ने द्वितीय याचिकाकर्ता एवं चतुर्थ प्रत्यर्थी को ए+ अंक दिए थे। दो विशेषज्ञों में से एक, जिन्होंने प्रथम याचिकाकर्ता को ए+ अंक दिए थे, ने द्वितीय याचिकाकर्ता एवं चतुर्थ प्रत्यर्थी को ए अंक दिया था। यही वह आधार है

जिसके आधार पर याचिकाकर्ता यह तर्क करते है कि योग्यता का क्रम जो कि तैयार किया गया वह त्रुटिपूर्ण था और यह कि प्रथम याचिकाकर्ता को उसके स्थान के बजाय एवं चतुर्थ प्रत्यर्थी के स्थान पर योग्यता के क्रम में शीर्ष पर रखा जाना था।

6. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 1997 में प्रथम प्रत्यर्थी ने यह निर्णय लिया कि चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु, यह तय किया गया कि अभ्यर्थियों का अंतिम चयन चयन समिति के सदस्यों द्वारा किए गए अंकन के आधार पर ही किया जाएगा। याचिकाकर्ता यह दावा करते हैं कि यदि 1997 की नीति का पालन किया गया होता तो प्रथम याचिकाकर्ता चतुर्थ प्रत्यर्थी के शीर्ष स्थान पर होता। अतः, याचिकाकर्ता यह दावा करते हैं कि प्रथम याचिकाकर्ता को इस आधार पर चतुर्थ प्रत्यर्थी से वरिष्ठ क्रम पर होना चाहिए कि 2005 में विरोधी अभ्यर्थियों को चयन समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए अंकन में उसे सात सदस्यों में से एक के द्वारा चतुर्थ प्रत्यर्थी से एक अंक अधिक दिया गया था, अन्य सदस्यों द्वारा समान अंक दिया गया था। प्रथम प्रत्यर्थी से स्थायी चयन समिति के 12 सितंबर 2005 को हुए बैठक के आधार पर सी०व्ही०टी०एस० विभाग में तीन प्राध्यापकों के मध्य वरिष्ठता के बिन्दु का परीक्षण करने एवं 1997 के नीति निर्णय के अनुरूप वास्तविक रूप में वरिष्टता का निर्धारण करने की अपेक्षा करते 14 अक्टूबर 2014 को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत प्रेषित निर्णय का अवलंब लेते हुए याचिकाकर्ताओं ने इस तर्क को बल देना चाहा है।

7. श्री विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह बताया है कि 1997 के नीति निर्णय के अनुसार यह महत्वपूर्ण था कि संकाय के चयनित सदस्यों की परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण शुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर किया जाए; योग्यता जिसे कि विशेषज्ञों सहित चयन समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए अंकों के आधार पर निर्धारित किया जाए। तर्क यह है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा ए०आई०आई०एम०एस० अधिनियम की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में जो निर्णय प्रेषित किया गया था वह प्रथम प्रत्यर्थी पर बंधनकारी था। धारा 25 के उपबंधों का अवलंब लिया गया जो इस प्रकार है:

''25. केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रण

संस्थान ऐसे निर्देशों को क्रियान्वित करेगा जैसा कि इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए समय समय पर उसे केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए जाए।''

याचिकाकर्ता यह भी निवेदन करते है कि सी०टी०व्ही०एस० विभाग में 2005 चयन से संबद्ध अंक पुस्तिकाओं को शासी निकाय के समक्ष 16 जनवरी 2012 को समीक्षा हेतु रखा गया था। शासी निकाय ने यह कहा कि:

''.....अभ्यावेदनों पर विस्तार से चर्चा की गई एवं शासी निकाय ने डॉ०ए०के० बिशोई के दावे में गुण पाया क्योंकि वर्ष 2005 में उसके साथ सीधी भर्ती अंतर्गत पद के लिए चयनित तीन अतिरिक्त प्राध्यापकों में उसे सर्वश्रेष्ठ आंका गया.....''

याचिकाकर्ताओं ने तत्कालीन निदेशक, डॉ० आर०सी० डेका, के 27 जून 2012 को ए०आई०आई०एम०एस० के अध्यक्ष को प्रेषित पत्र का अवलंब भी लिया है जो अन्य बातों के साथ इस प्रकार है:

''.....मैं यह निवेदन अध्यक्ष को उनके विचारार्थ प्रेषित कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यह विश्वास है कि उसके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार उसके पास एक दावा है तथा ए०आई०आई०एम०एस० में उपलब्ध अभिलेखों में भी उसे उस समय चयनित तीन अतिरिक्त प्राध्यापकों में सबसे वरिष्ठ होने का सुझाव दिया है, यदि संस्थान निकाय के निर्णय दिनांक 15.01.97 के अनुसार उसे दिए गए अंकों को गुण– दोष पर देखा जाता है.....''

सी०टी०व्ही०एस० विभाग के प्रमुख ने सेवा 31 दिसंबर 2017 को सेवा त्याग दिया। सबसे वरिष्ठ विभाग प्रमुख के रुप में कार्यभार संभालेंगे।

8. सूचना पत्र जारी करने के, इस न्यायालय के दिनांक 11 दिसंबर 2017 के आदेश के अनुसरण में, श्री आर० बालासुभ्रमणियन सहित भारत के विद्वान महान्यायवादी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित हुए। मुकुल रोहतगी एवं पी०एस० पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता चतुर्थ प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित हुए। प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ प्रत्यर्थी की ओर से एक प्रति शपथपत्र दायर किया गया है। प्रति शपथपत्र के जवाब के साथ अभिवचन पूरे कर लिए गए हैं।

9. रिट याचिका की पोषणीयता पर एक प्रारंभिक आपत्ति इस आधार पर उत्पन्न की गई है कि याचिकाकर्ताओं के पास परस्पर वरिष्ठता का केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में एक विवाद उत्पन्न करने का एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय है। इसलिए यह निवेदन किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से इस तर्क का प्रतिवाद श्री विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा किया गया है, जिन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के **डॉ० दिलीप कुमार पारीदव विरु० अखिल भारतीय अयुर्विज्ञान संस्थान**[1] में निर्णय का रुख किया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क किया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ''चयन प्रक्रिया में सहयोजित विशेषज्ञों की भागीदारी केवल सलाहकार के रूप में है और यह कि स्थायी चयन समिति के सदस्य विशेषज्ञों की राय से बाध्य नहीं हैं। विधि के इस कथन के आलोक में, जिसकी शुद्धता को विवादित होने के रूप में रखा गया है, यह निवेदन किया गया है कि अधिकरण के समक्ष जाने का उपाय प्रभावी नहीं है, क्योंकि अधिकरण उच्च न्यायालय के निर्णय से बाध्य है। अतः, यह निवेदन किया गया कि इस स्थिति को विचार में लिया जाना और अपनी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अधिकारिता का प्रयोग करना इस न्यायालय के लिए विधि में उचित होगा, विशेष रूप से इस तथ्य को विचार में रखते हुए कि प्रथम प्रत्यर्थी राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है। यह निवेदन किया गया कि वरिष्ठता से संबंधित विवाद अंततोगत्वा कर्मी की क्षमता को प्रभावित करता है और इसलिए न्यायालय के लिए इस प्रश्न को सुलझाना आवश्यक है।

10. सुनवाई के दौनान, प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ प्रत्यर्थी की और से पूरे विवाद को चुनौती देते हुए शपथ पत्र दायर किए गए हैं। विद्वान महान्यायवादी तथा विरोधी चिकित्सकों की ओर से उपस्थित हो रहे विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताने मामले के गुण– दोष पर इस न्यायालय की सहायता की है। चूंकि, विवाद पर गुण– अवगुण पर भी तर्क किया जा चुका है, हमने अपने निर्णय के विचारशील प्रयोग में यह पाया है कि पक्षकारों को न्यायाधिकरण तथा उच्च न्यायालय के समक्ष एक लंबे मुकदमेबाज़ी में ढ़केलने के बजाय मामले का निराकरण यहाँ किया जाना उचित होगा। हमने याचिकाकर्ताओं के इस निवेदन को भी ध्यान में रखा है कि उपर उल्लेखित दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में इस न्यायालय के लिए स्थिति को निर्धारित करना आवश्यक होगा।

11. याचिकाकर्ताओं की शिकायत का विश्लेषण करते समय, न्यायालय के समक्ष आया मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि 23 सितंबर 2005 को अतिरिक्त प्राध्यापक के रुप में चयन होने के क्रम में याचिकाकर्ताओं एवं चतुर्थ प्रत्यर्थी कें म्ध्य वरिष्ठता के क्रम का परीक्षण प्रथम प्रत्यर्थी के शासी निकाय द्वारा कई अवसरों पर किया जा चुका है। उनमें निम्नलिखित हैं:

(i) 14 अप्रैल 2012 को शासी निकाय की 147$^{वीं}$ बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि: " शासी निकाय ने डॉ. ए. के. बिसोई और डॉ. यू. के. चौधरी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार किया। इसने डॉ. दिलीप कुमार परिदा द्वारा दायर मामले में 9 फरवरी 2012 के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर भी विचार किया। सभी पहलुओं की जांच करने के बाद संस्थान निकाय के दिनांकित 15.1.1997 के प्रस्ताव, निदेशक की सलाह, डॉ. ए. के. बिसोई और डॉ. यू. के. चौधरी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन सहित, शासी निकाय ने निर्णय लिया कि डॉ. शिव कुमार चौधरी, डॉ. यू. के. चौधरी और

1

डॉ. ए. के. बिसोई की पारस्परिक वरिष्ठता को बनाए रखा जाएगा जैसा कि वर्ष 2005 में स्थायी समिति द्वारा अनुशंसित किया गया था। ;

(ii) प्रथम याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत का प्रतिनिधित्व करना जारी रखा। 22 अक्टूबर 2012 को, शासी निकाय ने अपनी 148 वीं बैठक में संकल्प लिया कि (i) स्वास्थ्य सचिव; (ii) निदेशक, एम्स; और (iii) डॉ. एस. पी. अग्रवाल की एक समिति तथ्यों/अभिलेखों की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट उसके सामने रखेगी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर, शासी निकाय ने 19 जुलाई 2013 को आयोजित अपनी 149 वीं बैठक में इस प्रकार निर्णय लिया:

" तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और न ही 3 प्रोफेसरों की वरिष्ठता को फिर से परिभाषित किया जाएगा, जो एस. एस. सी. की सिफारिशों के आधार पर तत्कालीन शासी निकाय द्वारा तय किया गया था।

12 मई 2014 को, शासी निकाय ने अपनी 151 वीं बैठक में इस मुद्दे पर पुनर्विचार किया और इस प्रकार निराकरण किया:

" चर्चा के बाद, शासी निकाय ने 19 जुलाई, 2013 को आयोजित शासी निकाय की 149 वीं बैठक में लिए गए अपने निर्णय को दोहराया। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस मामले को अलग करने की आवश्यकता नहीं है।

तत्पश्चात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स को निर्देश दिया कि एम्स प्रशासन को पुनः याचिकाकर्ता की वरिष्ठता से संबंधित मामले को शासी निकाय की आगामी बैठक से पहले लाएगा। इसके बाद आम सभा की 153 वीं बैठक में जो 22 जून 2016 को आयोजित किया गया था, पहले के निर्णयों को नोट किया गया था और निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे:

" शासी निकाय ने सी. टी. वी. एस. विभाग में प्रोफेसरों के बीच वरिष्ठता से जुड़े मुद्दों पर विचार किया। शासी निकाय ने पहले के निर्णयों को नोट किया। यह तय किया गया था कि इस मामले को एम्स द्वारा मंत्रालय को एक संचार के माध्यम से समझाया जा सकता है तथा अध्यक्ष सह एचएफएम, एम्स के समक्ष विचार हेतु रखा जावेगा।

उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में 10 अक्टूबर 2016 को स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय को एक पत्र भेजा गया था जिसमें कहा गया था ।

स्थायी चयन समिति चयन के मामले में संस्थान निकाय दिशानिर्देशों की अंतिम मध्यस्थ और व्याख्याकार है । यह न केवल साक्षात्कार के समय प्रदर्शन बल्कि उम्मीदवारों के समग्र मूल्यांकन को भी ध्यान में रखते हुये वैधानिक सीमा के भीतर दिशा निर्देशों को लागू करती है । आवेदन पत्र में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत पाठयक्रम बायोडाटा इस मामले में स्थायी चयन समिति ने प्रो.(डॉ.) शिव चौधरी को प्रो. (डॉ.) ए.के. बिसोई से उपर रखा है ।

12. उपरोक्त कथन से संकेत मिलता है कि अप्रैल 2012 के बाद से पहले प्रतिवादी द्वारा जो सुसंगत स्थिति बनाये रखी गयी है वह योग्याता के क्रम के अनुरुप है जिस चयन समिति द्वारा अनुशंसित किया गया था जिसके द्वारा चौथे प्रतिवादी को याचिकाकर्ताओं से ऊपर रखा गया था जब वे थे अतिरिक्त प्रोफेसर के रुप में नियुक्ति के लिये चयनित ।

13. 14 अक्टूबर 2014 को एम्स अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रथम प्रतिवारी के निदेशक को एक पत्र भेजा गया था । निर्देश निम्नलिखित शब्दों में था –

3 उपरोक्त के मद्देनजर संस्थान को एम्स अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत सीटीवीएस विभाग एम्स नई दिल्ली में तीन प्रोफेसरों के बीच वरिष्ठता के निर्धारण के मुददे की जॉच करने का निर्देश दिया गया है जिन्हें पद पर सीधी भर्ती के रुप में नियुक्त किया गया था । 12–09–2005 को आयोजित स्थायी चयन समिति की बैठक की सिफारिशों के आधार पर सीटीवीएस एम्स नई दिल्ली में अतिरिक्त प्रोफेसरों की नियुक्ति और 1997 में संस्थान निकाय के नीतिगत निर्णय के अनुसार सही क्रम में वरिष्ठता तय करना ।

धारा 25 के तहत उपरोक्त निर्देश में प्रथम प्रतिवादी को सीटीवीएस विभाग में तीन प्रोफेसरों के बीच वरिष्ठता के मुद्दे की जॉच करने की आवश्यकता थी । निर्देश 12 सितम्बर 2005 की स्थायी चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर तीन प्रोफेसरों की नियुक्ति को संदर्भत करता है । वरिष्ठता को 1997 के संस्थान के नीतिगत निर्णय के अनुसार सख्ती से निर्धारित करने की आवश्यकता थी ।

14. निर्देश के अनुपालन में प्रथम प्रतिवादी ने 18 फरवरी 2015 को एक पत्र द्वारा केन्द्र सरकार को इस प्रकार सूचित किया ।

इस मुद्दे को सबसे पहले 16.01.2012 को हुई बैठक में शासी निकास के समक्ष रखा गया था और जैसा की जीबी की इच्छा थी इस मुद्दे को 14.04.2012 को फिर से उसक सामने रखा गया । जीबी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आपस में वरिष्ठता तय की जाए डॉ० एस.के. चौधरी, डॉ० ए.के. बिसोई की जॉच की जाएगी जैसा कि वर्ष 2005 में स्थायी समिति की सिफारिश की थी ।

इसके अलावा शासी निकाय ने 22.10.2012 को आयोजित अपनी बैठक में पिछली जीबी बैठक की सिफारिश पर की गयी कार्यवाही रिपोर्ट पर विचार करते हुये डॉ० ए.के. बिसाई के अभ्यावेदन पर ध्यान दिया और निर्णय लिया कि स्वास्थ्य सचिव, निदेशक एम्स और डॉ० एस.पी. अग्रवाल की एक समिति बनाई जाए। तथ्यों/अभिलेखों की जॉच करेगी और अपनी रिपोर्ट शासी निकाय के समक्ष रखेगी ।

तदनुसार तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव श्री पी.के. प्रधान की अध्यक्षता में समिति ने इस मुद्दे की जॉच की लेकिन स्थायी समिति की सिफारिशों पर टिप्पणी करने में असमर्थता व्यक्त करते हुये कहा कि समिति के पास स्थायी चयन समिति के निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार नही है । 18.09.1997 को आयोजित बैठक में संस्थान निकाय द्वारा अनुमोदित दिशा निर्देशों के अनुसार चयन समिति हांलाकि समिति ने पाया कि वरिष्ठता का मुद्दा केवल विभाग प्रमुख बनने के लिये प्रासंगिक हो जाता है और इसलिए उन्होंने प्रमुख पद के रोटेशन के संबंध में 16.01.2012 को आयोजित अपनी बैइक में शासी निकाय के निर्णय लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया है । घुर्णनशील मुखियापान के मुद्दे पर व्यापक विचार की आवश्यकता है ।

स्वास्थ्य सचिव के अधिन समिति की सिफारिश को 22.10.2012 को हुई बैठक में शासी निकाय के समक्ष रखा गया था जिसमें न तो कोई बदलाव करने और न ही तीन प्रोफेसरों की वरिष्ठता को फिर से परिभाषित करने का निर्णय लिया गया था जो कि जीबी द्वारा तय किया गया था । स्थायी चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर ।

एम्स अधिनियम 1956 की धारा 25 के अनुसरण में डॉ० एस.के. चौधरी, डॉ० उज्ज्वल कुमार चौधरी और डॉ० ए.के. बिसोई के बीच परस्पर वरिष्ठता तय करने के निर्देश शासी निकाय के दिनांक 23.06.2005, 14.04.2012 तथा 22.10.2012 के निर्णय के अनुसार तय किये गये है ।

15. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 31 माचर् 2015 के एक अन्य प्रश्न के जवाब में प्रथम प्रतिवादी ने 23 सितम्बर 2015 को निम्नलिखित शब्दों में मामले को स्पष्ट किया ।

चयन समिति की सिफारिशों को 23.09.2005 को आयोजित बैठक में शासी निकाय द्वारा अनुमादित किया गया था और उसके बाद इन तीन संकायों को अतिरिक्त प्रोफेसर के रुप में नियुक्त किया गया था । सीधी भर्ती संकाय की वरिष्ठता योग्यता के क्रम में निर्धारित की जाती जिसे उनकी सिफारिश की जाती चयन समिति द्वारा । जैसा कि ऊपर बताया गया है कि चयन समिति की सिफारिशों के अनुसार डॉ० एस.के. चौधरी, डॉ० यू०के० चौधरी से वरिष्ठ है जो डॉ० ए.के. बिसोई से वरिष्ठ है ।

अन्य दो प्रश्नों के संबंध में बताया गया है कि डॉ० एस.के. चौधरी, डॉ० यू०के० चौधरी, डॉ० ए.के. बिसोई को शुरुआत में संस्थान में सहायक प्रोफेसर के रुप में नियुक्त किया गया था । 2005 में सीधी भर्ती कोटा के तहत एसोसिएट के रुप में पदोन्नत किया गया था । सहायक प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के ग्रेड में इन तीन संकायों के बीच वरिष्ठता उसी क्रम में थी जैसे कि अतिरिक्त प्रोफेसर यानी डॉ० एस.के. चौधरी का पद डॉ० यू०के० चौधी से वरिष्ठ है जो डॉ० ए.के. बिसोई से वरिष्ठ है ।

16. केन्द्र सरकार ने 14 अक्टूबर 2014 के अपने निर्देश के अनुसार पहले प्रतिवादी को 1997 के नीतिगत निर्णय के अनुसार परस्पर वरिष्ठता के मुद्दे की जॉच के लिये कहा था । निर्देशों में यह अनिवार्य नही था कि पहला याचिकाकर्ता चौथे से वरिष्ठ हो । प्रतिवादी मामले की उचित जॉच के बाद केन्द्र सरकार को सूचित किया गया कि 2005 में चयन समिति द्वारा अनुशंसित और सामान्य निकाय द्वारा अनुमोदित चयन का क्रम बरकरार रखा गया था ।

17. वर्तामन मामले में न्यायालय के सामने ऐसी स्थिति है जिसमें अतिरिक्त प्रोफेसर के पद पर भर्ती 2005 में की गयी थी । यह 12 साल पहले की बात है । याचिकाकर्ता ने 12 सितम्बर 2005 को चयन समिति द्वारा की गयी रैंकिग के आदेश पर सवाल उठाने के लिये नवम्बर 2017 में अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही शुरु की है । कानूनी उपायों के इस विलबित सहारा के लिये कोई ठोस स्पष्टीकरण नही है । याचिकाकर्ता केवल यह तर्क देकर कि वे अपनी शिकायतों के समाधान के लिये पहले प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे अपनी ओर से हुई देरी को वैध रुप से स्पष्ट नही कर सकते । याचिकाकर्ता को शायद विश्वास था कि एम्स प्रशासन शिकायतों पर ध्यान देगा ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की उन सहानुभुतिपूर्ण प्रतिक्रिया थी लेकिन किसी भी तरह से न्यायिक उपचार का सहारा न लेने के लिये 12 साल की अवधि बहुत लंबी है । जैसा कि तथ्यों के वर्णन से संकेत मिलता है । शासी निकाय ने 14 अप्रैल 2012 को योग्यता के क्रम को बनाये रखने का निर्णय लिया था जिसके अनुसार बाडी द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया और 19 जुलाई 2013 को एक बार फिर वरिष्ठता क्रम बनाये रखने का निर्णय लिया गया ।

इसे 12 मई 2014 और 22 जून 2016 को दोहराया गया था । इस प्रकार याचिकाकर्ता को उस सुसंगत स्थिति के बारे में पता था जिसे पहले प्रतिवादी ने अपनाया था । अपने कानूनी उपायों का सहारा लेने में उनकी ओर से की गयी देरी का असर उन पर होना चाहिये । इस स्तर पर 2005 में चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिश की फिर से खोलकर सीटीवीएस विभाग में तीन प्रोफेसरों के बीच पारस्परिक वरिष्ठता अस्थिर करना स्पष्ट रुप से अनुचित होगा ।

18. यह मानते हुये कि याचिकाकर्ताओं की ओर से अप्रत्याशित देरी उन्हें राहत देने से वंचित कर देगी, हम उत्तरांचल राज्य बनाम शिव चरण सिंह भंडारी में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते है । विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने उस संबंध में कानून की स्थापित स्थिति को ध्यान में रखते हुये, इस प्रकार कहा–

"27. हम पूरी तरह से सचेत है कि वर्तमान मामले में पदोन्नति कैडर से वरिष्ठता को परेशान नही किया गया है और किसी भी पदोन्नति को अस्थिर नही किया जा सकता है । उत्तरदातओं ने रिप वान विंकल की तरह सोने का फैसला किया और अपने खाली समय में अपनी नींद से उठ गये । किसी ऐसे कारण के लिये जो केवल उनके लिये ही समझ में आता है । लेकिन स्वयं कारणों की ऐसी थाह लेना कानून में मान्य नही है जो कोई भी अपने अधिकार के ऊपर सोता है उसे कष्ट सहना ही पड़ता है ।" (पेज 185 पर आईडी)

"28. देरी और देरी के तथ्य से अनजान रहना और राहत देना सभी स्थापित सिद्धांतोां के विपरीत है और यहां तक कि विवेक की अवधारणा को दूर से भी आकषिर्त नही करेगा । हम यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते है कि यह उन सभी परिस्थितियों में लागू नही हो सकता है जहां कुछ श्रेणियों है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है । लेकिन प्रमोशनल लाभ प्राप्त करने के पुराने दाव पर निश्चिंत रुप से ट्रिब्यूनल द्वारा विचार नही किया जाना चाहिये और उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिये ।" (पेज 186 पर आई डी)

इसमें विश्राम का एक तत्व होना चाहिये और एक बासी दावे को पुनर्जीवित नही किया जा सकता है ।

19. एम्स में चयनों को "पारदर्शी तथा और अधिक सहभागी" बनाने का मुद्दा उक्त उद्देश्य के लिए 1997 में गठित एक उप–समिति को सौंपा गया था। उप–समिति के सुझाव, प्रशासनिक टिप्पणियों के साथ, 15 जनवरी 1997 को एजेंडा आइटम 5 के रूप में बैठक के समक्ष रखा गया था।
संवैधानिक निकाय। अजेन्डा नोट में निम्नलिखित प्रस्ताव शामिल हैंः

चयनों को "पारदर्शी तथा और अधिक सहभागी" बनाने के लिए यह प्रस्तावित किया जाता है कि चयन समिति के सभी सदस्य साथ ही तकनीकी विशेषज्ञों को प्रत्येक उम्मीदवार की श्रेणीकरण/प्राप्तांक गोपनीय रूप से निम्नलिखित तरीके से देने के लिए कहा जाना चाहिए

1) ए +
2) ए
3) बी +
4) बी
5) सी

चयन समिति तथा तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा दिए गए श्रेणीकरण चयन समिति के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे तथा उम्मीदवारों का अंतिम चयन उपर्यवर्णित चयन समिति तथा तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा दिए गए श्रेणीकरण/प्राप्तांक के आधार पर किए जाएंगे। किन्हीं उम्मीदवारों के श्रेणीकरण में बराबरी होने के मामले में, उम्मीदवार के चयन के संबंध में अंतिम निर्णय, चयन समिति के अन्य सदस्यों के साथ चर्चा के उपरांत, चयन समिति के अध्यक्ष के पास होगा।

यदि उपरोक्त विधि को उम्मीदवार के अंतिम चयन हेतु लागू किया जाता है, तब तकनीकी सदस्यों को चयन में उम्मीदवार, तो तकनीकी विशेषज्ञों को अंतिम निर्णय लिए जाने तक, चयन में शामिल होना जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से, चयनित उम्मीदवार की गोपनीयता बनाए रखी जा सकती है। चयन समिति के सदस्य तथा तकनीकी विशेषज्ञों को, जैसे कि उपर वर्णित है,प्रत्येक उम्मीदवार के संबंध में विशिष्ट रूप से श्रेणीकरण दिए जाने हेतु कहा जाना चाहिए। "मूल्यांकन संवर्धन योजना " के अंतर्गत शामिल होने वाले उम्मीदवारों हेतु भी उक्त समान प्रक्रिया लागू की जानी चाहिए।

(जोर दिया गया)

उप–समिति तथा प्रशासनिक समिति के सुझाव अनुमत किए गए। पश्चात में १५, अप्रेल १९९७ को, यह पाया गया कि उप–समिति तथा प्रशासनिक समिति के सुझाव में भिन्न्ता है। १८, सितम्बर, १९९७ को एक संशोधित प्रशासनिक टीप संस्थान के समक्ष प्रस्तुत किया गया। संशोधित निम्नानुसार हैः–

(i) चयन समिति के सभी सदस्य साथ ही साथ तकनीकी विशेषज्ञों को प्रत्येक उम्मीदवार हेतु श्रेणीकरण/प्राप्तांक गोपनीय रूप से देने हेतु कहा जाना चाहिए –

1) ए +
2) ए.
3) बी +
4) बी.
5) सी.

(ii) **चयन समिति तथा तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा दिए गए श्रेणीकरण, चयन समिति के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे तथा उम्मीदवारों का अंतिम चयन उपर्यवर्णित चयन समिति तथा तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा दिए गए श्रेणीकरण/प्राप्तांक के आधार पर किए जाएंगे। किन्हीं उम्मीदवारों के श्रेणीकरण में बराबरी होने के मामले में, उम्मीदवार के चयन के संबंध में अंतिम निर्णय, चयन समिति के अन्य सदस्यों के साथ चर्चा के उपरांत, चयन समिति के अध्यक्ष के पास होगा।**

१८, सितम्बर १९९७ के मिनट १७ जून १९९८ को आयोजित बैठक में अनुमत किए गए।

उपरोक्त निचोड़, यह दर्शाते हैं कि **चयन समिति तथा तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा दिए गए श्रेणीकरण, अध्यक्ष, चयन समिति के समक्ष, रखे जाएंगे आैर उम्मीदवारों का अंतिम चयन, समिति तथा तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा दिए गए श्रेणीकरण/प्राप्तांक के आधार पर "किए जा सकेंगे"। जैसा कि पहले अभिलिखित किया गया है, वाक्यांश "किए जाएंगे" के स्थान पर "किए जा सकेंगे" अनुमत किए गए।**

21. डॉ. दिलीप कुमार बनाम एम्स (उपरोक्त) में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया है कि चयन प्रक्रिया में सह–चयनित विशेषज्ञों का विचार केवल सलाहकारी है और एम्स की स्थायी चयन समिति के सदस्य उनकी राय से बाध्य नहीं हैः

" 21. एम्स एक वैधानिक निकाय होने के अलावा एक विशेष निकाय है और एक स्थायी चयन समिति के गठन की व्यवस्था की गई है, हम प्रत्यर्थी सं. 5 की ओर से दी गई दलीलों से सहमत हैं, कि चयन प्रक्रिया में सह–चयनित विशेषज्ञों की भूमिका मात्र सलाहकारी होगी तथा स्थायी चयन समिति के सदस्य विशेषज्ञों की राय से बाध्य नहीं हैं और विभिन्न पदों के लिए, स्वतंत्र रूप से, आवेदकों का मूल्यांकन करने के हकदार हैं।

23. हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि चयन प्रक्रिया में सह–चयनित विशेषज्ञों का उद्देश्य उम्मीदवारों के शैक्षणिक पहलुओं का मूल्यांकन करना है, जबकि दूसरी ओर स्थायी चयन समिति न केवल शैक्षणिक पहलू से बल्कि अन्य मानकों जैसे उपयुक्तता, व्यवहार,अनुकूलनशीलता आदि से भी संबंधित है। "।

दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में स्थिति के उपरोक्त कथन को यह सुझाव देने के लिए नहीं पढ़ा जाना चाहिए कि जिन विशेषज्ञों ने सह–चयन किया है, की कोई भूमिका नहीं है और उनके मतों से स्वतंत्र रहते हुए अन्य सदस्यों द्वारा चयन पर निर्णय लिया जाना है। विशेषज्ञों का सह–चयन यह सुनिश्चित करने के लिए है कि चयन समिति व्यापक आधारित है; चयन उद्देश्यपूर्ण है; आैर यह कि विशेषज्ञों का बाहरी अनुभव और ज्ञान, अंतिम निर्णय में एक मूल्यवान अंशदान करता है। 1997 में अपनाई गई नीति से संकेत मिलता है कि चयन समिति के सदस्यों और तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा दी गई श्रेणीकरण/अंकन के आधार पर अंतिम चयन किया जा सकता है। जहां बराबरी होती है, चयन समिति के अन्य सदस्यों के साथ चर्चा के बाद निर्णय अध्यक्ष के पास रहता है। हम याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते कि यह केवल एक

बराबरी है जिसे अध्यक्ष द्वारा हल किया जा सकता है और अन्य सभी मामलों में, समिति ग्रेड के गणितीय योग पर अपना चयन करने के लिए बाध्य है। यह तथ्य, कि चयन समिति के सदस्यों और तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा दी गई श्रेणीकरण के आधार पर 'चयन किया जा सकता है' (यह अभिव्यक्ति 'किया जाएगा' के प्रतिस्थापन में है), सुझाव देता है कि योग्यता का निर्धारण केवल आवंटित की गई श्रेणी के यांत्रिकय योग नहीं है। चयन समिति को उददेश्यपूर्ण रूप से कार्य करना चाहिए। यह निःसंदेह विशेषज्ञों की राय को उचित महत्व दिए जाने की अपेक्षा करती है। परन्तु एेसा करते समय संस्थान के हितों के सभी सुसंगत पहलुआें को भी विचार में रखना चाहिए। चयन समिति को उम्मीदवारों के साख, जिसमें उम्मीदवारों की सेवा प्रोफाइल भी समाहित है, का आकलन करना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय को इस तरह से लेना चाहिए कि चयन समिति में सह–चयनित विशेषज्ञों की राय एक आेर मूल्यवान पहलू आैर अंशदान गठित करती है तो दूसरी आेर उन्हें बंधनकारी नहीं माना जा सकता है। चयन समिति के सदस्यों को विशेषज्ञों की राय पर विचार करना होगा तथा उनका मूल्यांकन सभी सुसंगत परिस्थितियों के साथ करना होगा।

२२. इस वर्तमान प्रकरण में, न्यायालय के अभिलेख यह दर्शाते हैं कि, सहायक प्राध्यापकों के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा करते समय, उम्मीदवारों के प्रदर्शन, उनकी पृष्ठभूमि आैर तकनीकी विशेषज्ञों की राय चयन समिति के मश्तिष्क में थी। १२, सितम्बर २००५ की बैठक के मिनट यह दर्शाते हैं कि तकनीकी विशेषज्ञों की राय पर विचार किया गया था। बारह वर्षों तक क्या उचित हुआ का मूल्यांकन न तो संभव है आैर न ही उचित है। १९९७ के नीति निर्णय यह दर्शाते हैं कि चयन समिति के सभी सदस्यों तथा तकनीकी विशेषोज्ञों द्वारा दिए गए श्रेणीकरण चयन समिति के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हैं आैर अंतिम चयन, चयन समिति के सदस्यों तथा तकनीकी विशेषोज्ञों द्वारा दिए गए श्रेणीकरण के आधार पर "किए जा सकते हैं"। चयन समिति, जो २००५ में गठित हुई थी, ने चयन तथा चयनित उम्मीवारों के आपस के रैंक के मुददे पर विचार किया था। उनकी प्राविण्यता के क्रम को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त प्राध्यापकों की नियुक्ति हेतु, अंतिम अनुशंसा करते समय चयन समिति द्वारा उम्मीदवारों के प्रदर्शन, उनकी पृष्ठभूमि आैर विशेषज्ञों की राय सहित सभी महत्वपूर्ण पहलुआें पर विचार किया गया था। इसीलिए, जो रैंकिंग प्रदान की गई है, उसे १९९७ के नीति निर्णय के उल्लंघन में होना नहीं माना जा सकता है। याचिकाकर्ताआें आैर चतुर्थ उत्तरदाता के अतिरिक्त प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के बारह वर्षों के उपरांत वरिष्ठता के अनुक्रम को अस्थिर करना अधर्म होगा। उसके उपरांत भी, जब उनमें से प्रत्येक, प्राध्यापक के पद पर पदोन्न्त किए जा चुके हैं, चतुर्थ उत्तरदाता को याचिकाकर्ताआें से उच्चतर रैंक प्रदान किया गया है।

23. उपरोक्त कारणों से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि,चयन समिति द्वारा अतिरिक्त प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु अनुशंसा के बारह वर्षों के उपरांत, राहत दिया जाना, याचिकाकर्ताओं और चौथे प्रतिवादी के मध्य के अंतर–वरिष्ठता में गड़बड़ी उत्पन्न करेगा। यह नहीं किया जा सकता है। विभागीय प्रक्रियाओं में प्रथम याचिकाकर्ता के पक्ष में अभिव्यक्त किए गए कुछ विचार उम्मीद के भाव उत्पन्न कर सकते है। लेकिन यह मैदान पर लंबे वर्षों तक कायम चीजों को अस्थिर करने हेतु कानूनी आधार प्रदान नहीं कर सकता है। हम इस उम्मीद से कार्यवाही को समाप्त करते हैं कि ये प्रतिष्ठित डॉक्टर एम्स में बिना द्वेष के अपने पेशे को अनुवृत्त करेंगे। वरिष्ठता पर हमारा यह निर्णय, प्रधान राष्ट्रीय संस्थान में उनकी विशिष्ट सेवाआें पर प्रतिबिम्बन नहीं है। ।
२४. तदनुसार यह रिट याचिका खारिज की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

---

1 एल०पी०ए० 2004 का 360, 9 जनवरी 2012 को निर्णित

2 (2013) 12 SCC 179